कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक फा. 1(9)सविरा/निशा/अ/आरपीएससी/2018 दिनांक :– 26/02/2019

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1 (6) प्र.सु./अनु–3/2017 दिनांक 14.02.2019 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–II संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व डी.बी. स्पेशल रिट संख्या 18/18 आयोग बनाम दिनेश कुमार महावर मे दिनांक 05.03.2018 को पारित निर्णय, एस.बी.सी. रिट संख्या 11497/2017 धारा सिंह गुर्जर व अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.07.2017 एवं अन्य याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन मानते हुए आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा– लिपिक ग्रेड–II 2013, में चयनित अभ्यर्थियों मे से अधीनस्थ कार्यालयों हेतु राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय एवं लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अनुसरण में सहकारिता विभाग को निम्न विवरणानुसार अभ्यर्थियों का आवंटन किये जाने के फलस्वरूप **उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में कार्य भार सम्भालने की तिथि से नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है :–**

क्र. सं.	मैरिट संख्या	रोल नं0	श्रेणी	अभ्यर्थी का नाम	नव पदस्थान कार्यालय का नाम
1.	16	419908	GENM	रवि कुमार शर्मा	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, भरतपुर
2.	240	411597	GENM	वैभव उपमन	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, भरतपुर
3.	248	112922	GENM	हरेन्द्र सिंह	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, जयपुर शहर (संस्था पंजीयन)
4.	249	336825	GENM	सुनील खण्डेलवाल	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, अलवर
5.	401	223934	GENM	नीरज गुप्ता	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियॉं, जयपुर (ग्रामीण)
6.	415	425268	GENM	अभय जैन	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, भरतपुर
7.	643	208628	GENM	पुनीत खण्डेलवाल	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, जयपुर (ग्रामीण)

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है :–

1 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के नियम–16 के अन्तर्गत शिड्यूल–IV के प्रावधान अनुसार **इनको दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद के विरूद्व परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के पद पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपयें 14600/– (अक्षरे चौदह हजार छः सौ रूपये) प्रतिमाह** अथवा दिनांक 20.01.2006 से पूर्व राज्य सेवा में नियमित

नियुक्त कार्मिकों के मामलें में नियमानुसार पूर्व पद के वेतनमान या उक्त नियत पारिश्रमिक में से जो भी लाभप्रद हो, नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।

2 उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

3 उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्याधीन है।

4 यदि नियुक्ति अधिकारी की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में सतोषप्रद नहीं पाया जाये तो इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त किया जायेगा।

5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा । परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को स्थानान्तरण/सरकारी कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता नियमानुसार नियत पारिश्रमिक के आधार पर देय होगा ।

6 स्थिर पारिश्रमिक में से बीमा एवं जी.पी.एफ. की कटौती नही होगी ।

7 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को एक कलैण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा ।

8 अभ्यर्थी आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस पश्चात भी सम्बन्धित कार्यालय में रिपोर्ट नहीं करता है, तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।

9 नियुक्ति चरित्र सत्यापन के अध्यधीन होगी। पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरूद्ध आचरण संबंधी प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनकी नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी एवं ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी ।

10 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को देय नियत पारिश्रमिक पर 10 प्रतिशत की दर से नवीन अंशदायी पेंशन योजना में अंशदान की कटौती होगी तथा नियोक्ता द्वारा समान अंशदान किया जायेगा ।

(डॉ. नीरज कुमार पवन)
रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. निजी सचिव, रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राज. जयपुर
6. तकनीकी सहायक, रजिस्ट्रार, प्रधान कार्यालय, जयपुर ।
7. अतिरिक्त/उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ...
8. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी/विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियॉ........................
9. नियुक्ति अनुभाग, ब–3, प्रधान कार्यालय, जयपुर
10. श्री ....
11. निजी /गार्ड पत्रावली ....

(ओम प्रकाश)
संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन)